भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 439
16 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए

सैनिक भर्ती केन्द्र

***439. श्री विक्रम उसेंडी:**
श्री प्रतापराव जाधव:

क्याक रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती हेतु भर्ती रैलियां आयोजित करने के लिए मानदंड क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का देश में नए सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सैनिक भर्ती रैलियों के दौरान विभिन्न भागों से हिंसा की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न सं. 439 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सशस्त्र बलों में अन्य रैंकों की भर्ती योग्यता पर आधारित होती है और यह जाति, सम्प्रदाय, समुदाय अथवा धर्म के आधार पर किसी भेदभाव के बिना देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुली है ; बशर्ते अभ्यर्थी आयु, शारीरिक, चिकित्सीय और शिक्षा संबंधी निर्धारित मानदंड पूरा करता हो । सेनावार ब्यौरा (सेना, नौसेना और वायुसेना) निम्नानुसार है :-

सेना

सेना में अन्य रैंकों की भर्ती राज्य/संघराज्य-क्षेत्र की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या (आरएमपी) पर आधारित होती है । यह आरएमपी भारत की जनगणना की वर्ष 2011 की रिपोर्ट के आधार पर राज्य/संघराज्य-क्षेत्र के कुल पात्र पुरुष जनसंख्या का 10% माना जाता है । राज्य/संघराज्य-क्षेत्रों की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या (आरएमपी) के आधार पर भर्ती के लिए रिक्तियां वितरित की जाती हैं । यह नीति साफ-सुथरी है और सभी राज्यों से पात्र अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर मुहैया कराती है ।

सेना में अन्य रैंकों के लिए भर्ती, भर्ती रैलियों के जरिए की जाती है । ये रैलियां यह सुनिश्चित करके कि सिविल प्रशासन द्वारा अवसंरचना और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, पूर्ण विचार-विमर्श, योजना बनाकर और सिविल प्रशासन के साथ व्यापक समन्वय के पश्चात आयोजित की जाती हैं ।

जुलाई, 2015 से 'ऑनलाइन आवेदन प्रणाली' अपनाई गई है । इस नई भर्ती प्रणाली में, सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने संबंधित सेना भर्ती कार्यालय के जरिए भर्ती गतिविधियों में भाग ले सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में कोई व्यक्ति उस जिले, जिसमें वह रहता है, में होने वाली रैली में भाग लेने के लिए भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ।

इस प्रकार नई प्रणाली में किसी निश्चित तारीख की रैली में सीमित संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है जिससे रैलियों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित होता है, भीड़ घटती है और अत्यधिक भीड़ के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगती है ।

नौसेना

नौसेना में नौसैनिकों की भर्ती उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार पात्र 'भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या' की राज्य-वार योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय आधार पर की जाती है ।

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता जांच और चिकित्सीय जांच शामिल होते हैं । तथापि, कुछ स्थानों में जहां इस ओर कम रुझान होता है, भर्ती रैलियां भी आयोजित की जाती हैं ।

<u>वायुसेना</u>

वायुसैनिकों का चयन केन्द्रीकृत चयन परीक्षाओं के जरिए एक केन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है जिनमें देश के विभिन्न भागों में अवस्थित 14 वायुसैनिक चयन केन्द्रों की सहायता से केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड (सीएएसबी) भर्ती करता है । इसके अतिरिक्त, देश के दूरस्थ/ कम रुझान वाले/सीमावर्ती/घुसपैठ प्रभावित अथवा पहाड़ी जिलों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं । इससे भारतीय वायुसेना में देश के विभिन्न भागों से कार्मिकों के संतुलित प्रतिनिधित्व में मदद मिलती है ।

(ख) और (ग) : देश में नए सेना भर्ती केन्द्रों और प्रशिक्षण केन्द्रों को खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ड.) : ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू किए जाने से सेना की भर्ती में हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है । जैसाकि ऊपर कहा गया है, नई प्रणाली में किसी निश्चित तारीख को एक निश्चित संख्या में अभ्यर्थियों को रैली में बुलाया जाता है जिससे रैलियों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित होता है, भीड़ घटती है और अत्यधिक भीड़ के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगती है ।

*****